III घरेलू नीतिगत परिवेश

वर्ष 2025-26 के दौरान, जून 2025 से 'तटस्थ' रुख बनाए रखते हुए मौद्रिक नीति में नरमी जारी रही, ताकि बदलती समष्टि-वित्तीय स्थितियों के बीच उचित वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन बनाया जा सके। रिज़र्व बैंक ने सुचारू मौद्रिक नीति संचरण के लिए पर्याप्त प्रणाली-स्तरीय चलनिधि सुनिश्चित की। विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों में विनियामक अनुदेशों के समेकन, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने, विवेकपूर्ण मानदंडों के सामंजस्य को बढ़ावा देने और उभरते जोखिमों का समाधान करने के माध्यम से अनुपालन बोझ को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, अभिशासन मानकों एवं पारदर्शिता में सुधार लाने तथा विनियमित संस्थाओं के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास जारी रहे।

परिचय

III.1 भू-राजनीतिक जोखिमों, व्यापार नीति अनिश्चितता और वित्तीय बाजार में अस्थिरता सहित विकट वैश्विक बाधाओं के बावजूद, भारतीय वित्तीय प्रणाली वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान सुदृढ़ बनी रही। यह समुत्थानशीलता एक स्थिर समष्टि आर्थिक वातावरण, सुदृढ़ समष्टि आर्थिक नीतियों और एक दक्ष विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे द्वारा समर्थित थी। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के लिए उभरते जोखिमों और चुनौतियों के प्रति सतर्कता बरती, वहीं वित्तीय नवोन्मेष और डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करना जारी रखा। विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करने, ऋण ढांचों में सामंजस्य स्थापित करने, चलनिधि जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने, पारदर्शिता एवं उचित ऋण प्रथाओं के माध्यम से ग्राहक संरक्षण बढ़ाने के साथ-साथ डिजिटल और सह-उधार ढांचे सहित उपायों के एक व्यापक समूह के माध्यम से विनियामक प्रयासों को और मजबूत किया गया। नीतिगत उपायों ने जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करने के साथ-साथ विनियमित संस्थाओं (आरई) की साइबर-सुदृढ़ता को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इन उपायों ने, बदले में, तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में वित्तीय स्थिरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में मदद की।

III.2 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय विभिन्न क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक की प्रमुख नीतिगत पहलों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। खंड 2 वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान किए गए प्रमुख मौद्रिक और चलनिधि प्रबंधन उपायों की रूपरेखा तैयार करता है। खंड 3 में समीक्षाधीन अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्रमुख विनियामक और पर्यवेक्षी पहलों की समीक्षा की गई है। वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों से संबंधित नीतिगत उपायों पर खंड 4 में चर्चा की गई है, इसके बाद खंड 5 में वित्तीय बाजार संबंधी घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है। खंड 6 और 7 क्रमशः उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई पहलों तथा ऋण वितरण को बढ़ाने एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उपायों की जांच करता है। खंड 8 में सुरक्षित और समावेशी तरीके से भुगतान प्रणाली के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए की गई पहलों का विवरण दिया गया है। खंड 9 एक समग्र मूल्यांकन के साथ अध्याय का समापन करता है।

2. समष्टि आर्थिक नीति निर्धारण

III.3 रिज़र्व बैंक ने आर्थिक संवृद्धि का समर्थन करने के लिए मौद्रिक नीति में एक सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि मुद्रास्फीतिकारक दबाव में कमी ने नीतिगत समायोजन के लिए राह बना दी। नीतिगत रेपो दर को वर्ष 2023-24 से 2024-25 की तीसरी तिमाही तक 6.50 प्रतिशत पर स्थिर रखने के बाद, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी और अप्रैल 2025, दोनों महीनों में 25-25 आधार अंक घटा दिए, इसके बाद जून 2025 में 50 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी आयी और दिसंबर 2025 में नवीनतम 25 बीपीएस की कमी के साथ संचयी रूप से 125 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी के बाद यह 5.25 प्रतिशत पर रही।

III.4 वैश्विक अनिश्चितता के बीच सौम्य घरेलू मुद्रास्फीति दृष्टिकोण और सामान्य वृद्धि की पृष्ठभूमि में, एमपीसी ने अप्रैल 2025 में नीतिगत रुख को 'तटस्थ' से बदल कर 'समायोजित' करने का निर्णय लिया। तेजी से बदलती वैश्विक आर्थिक स्थिति के बीच वृद्धि को और समर्थन देने के लिए सीमित गुंजाइश को स्वीकार करते हुए, एमपीसी ने उचित वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन बनाने के लिए जून 2025 में अपने तटस्थ रुख को पुनः अपना लिया। इसके साथ ही, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली को - खुले बाजार में खरीद, यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी के माध्यम से - मौद्रिक नीति संचरण में सुधार करने में मदद करने के लिए पर्याप्त चलनिधि प्रदान की।

वर्ष 2024-25 के दौरान के घटनाक्रम

III.5 रिज़र्व बैंक ने 2024-25 की चौथी तिमाही में चलनिधि वृद्धि के कई उपाय किए, जिनमें बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशित करने के लिए मीयादी रेपो नीलामी, खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद और यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप शामिल हैं। प्रणालीगत चलनिधि जुलाई-नवंबर 2024 के दौरान अधिशेष से दिसंबर 2024-फरवरी 2025 के दौरान घाटे में बदल गई, और मार्च 2025 के अंत तक पुनः अधिशेष की स्थिति में आ गई। 2024-25 के दौरान, घर्षणात्मक चलनिधि को प्रबंधित करने के लिए दो-तरफ़ा फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशन प्रमुख तंत्र थे।

III.6 पर्याप्त चलनिधि स्थितियों को दर्शाते हुए, भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) – जो मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य होती है - 2024-25 के दौरान व्यापक रूप से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर की सीमा में बनी रही। संपार्श्विक खंड में एकदिवसीय दरें, डब्ल्यूएसीआर के साथ ताल-मेल में रहीं। मुद्रा बाजार के अन्य क्षेत्रों में, 2024-25 के दौरान तदनुरूपी परिपक्वता वाली खजाना बिल (टी-बिल) दरों पर जमा प्रमाण पत्र (सीडी) एवं वाणिज्यिक पत्र (सीपी) दरों का औसत दैनिक स्प्रेड बढ़ गया, जो मुख्य रूप से ऐसी लिखतों के उच्च निर्गम को दर्शाता है।

III.7 केंद्र सरकार द्वारा कम बाजार उधार आवश्यकताओं, वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों[1] में भारत सरकार की प्रतिभूतियों को शामिल करने, रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि अंतर्वेशन, घरेलू मौद्रिक नीति में नरमी के चक्र की शुरुआत तथा अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफलों में नरमी से सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण वर्ष के दौरान सरकारी बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई। जी-सेक प्रतिफलों के अनुसरण में कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफलों में भी नरमी आई, हालांकि उसमें स्प्रेड का विस्तार हुआ।

वर्ष 2025-26 के दौरान के घटनाक्रम

III.8 बदलती समष्टि-वित्तीय स्थितियों और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि अंतर्वेशन करना जारी रखा। दिसंबर 2024 से रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान प्रणाली चलनिधि में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। चलनिधि स्थितियों को और सुगम बनाने और बैंकिंग प्रणाली

[1] जून 2024 में जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉण्ड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट, जनवरी 2025 में ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स और सितंबर 2025 में एफटीएसई रसेल इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉण्ड इंडेक्स।

को अधिक स्थिरता प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने जून 2025 में सीआरआर में 100 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की, जो निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत तक कम हुई, जिसे सितंबर और नवंबर 2025 के बीच क्रमबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया गया था।[2]

III.9 अधिशेष चलनिधि को दर्शाते हुए, डब्ल्यूएसीआर मोटे तौर पर रेपो दर से नीचे रहा। अधिशेष चलनिधि के कारण 11 जून 2025 से दैनिक परिवर्तनीय रेपो दर (वीआरआर) नीलामी को बंद करने के बाद, अलग-अलग परिपक्वता (2 से 7 दिन) के परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) परिचालन 27 जून 2025 से शुरू हुए। उन्होंने अधिशेष चलनिधि को अवशोषित किया और डब्ल्यूएसीआर को नीतिगत दर के साथ उत्तरोत्तर संरेखित किया। वर्ष 2025-26 (18 दिसंबर तक) के दौरान नीतिगत रेपो दर पर डब्ल्यूएसीआर का स्प्रेड औसतन (-) 13 आधार अंक रहा, और संपार्श्विक खंडों में एकदिवसीय दरें भी तालमेल में रहीं। बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि एवं नीतिगत दर में कटौती के मद्देनजर, 3 महीने के टी-बिल, सीडी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी सीपी पर प्रतिफल में 2025-26 (18 दिसंबर तक) के दौरान कमी आयी। बॉण्ड बाजार में अल्पावधि बॉण्डों के प्रतिफल में काफी गिरावट आई, जबकि वैश्विक अनिश्चितता और मांग-आपूर्ति असंतुलन के कारण दीर्घावधि बॉण्ड प्रतिफल में थोड़ी कम गिरावट देखी गई। फरवरी 2025 से 125 आधार अंकों की संचयी नीतिगत दर कटौती का संचरण, वर्ष के दौरान बैंकों की जमा और ऋण दरों में जारी रहा।

चलनिधि प्रबंधन ढांचा

III.10 रिज़र्व बैंक ने आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की अनुशंसाओं और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर 30 सितंबर 2025 को संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को अंतिम रूप दिया। एकदिवसीय भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर), मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य बनी हुई है, जिसमें व्यवस्थित विकास और सुचारू संचरण सुनिश्चित करने के लिए अन्य एकदिवसीय मुद्रा बाजार दरों की निरंतर निगरानी की जाती है। सममित कॉरिडोर प्रणाली को बरकरार रखा गया है, केंद्र में नीति रेपो दर है तथा एसडीएफ और एमएसएफ क्रमशः ±25 आधार अंकों पर न्यूनतम और उच्चतम सीमा निर्धारित करते हैं।

III.11 अल्पकालिक/अस्थायी चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए, 14-दिवसीय वीआरआर/वीआरआरआर परिचालन का मुख्य लिखत के रूप में उपयोग समाप्त कर दिया गया था। इसे मुख्य रूप से 7-दिवसीय वीआरआर/वीआरआरआर परिचालन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जबकि अन्य अवधियों (एकदिवसीय से 14 दिन) के लिए परिचालन रिज़र्व बैंक के विवेकाधीन आयोजित किए जाएंगे।

3. विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियाँ

III.12 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में कई दशकों में अपनी विनियमित संस्थाओं को जारी किए गए सभी बैंकिंग/गैर-बैंकिंग अनुदेशों को समेकित करने के लिए एक वृहत अभ्यास शुरू किया। वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि सहित 11 प्रकार की विनियमित संस्थाओं में सुनियोजित 244 कार्य-वार मास्टर निदेशों (डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण पर सात नए मास्टर निदेशों सहित) में 9,000 से अधिक अनुदेशों की जांच की गई और समेकित किए गए। समेकन के बाद, 9,445 परिपत्रों को निरस्त कर दिया गया था। इससे आरई के लिए विनियामक अनुदेशों की उपलब्धता में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे उनकी अनुपालन लागत कम हो जाएगी, साथ ही प्रत्येक प्रकार की इकाई के लिए प्रत्येक अनुदेश की प्रयोजनीयता पर स्पष्टता में सुधार होगा। यह कारोबारी सुगमता की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भी कार्य करता है।

---
[2] 6 जून 2025 को घोषित सीआरआर में, 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 25 आधार अंकों की चार समान शृंखलाओं में कमी की गई थी।

3.1 ऋण सूचना रिपोर्टिंग

III.13 रिज़र्व बैंक ने 06 जनवरी 2025 को ऋण सूचना रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश जारी किए। इन निदेशों ने संवेदनशील ऋण डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करते हुए ऋण सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार के लिए एक मानकीकृत ढांचा स्थापित किया। इसने उपभोक्ताओं को संबंधित मामलों पर उनकी ऋण सूचना और शिकायत निवारण तक पहुंचने के लिए तंत्र भी प्रदान किया। इसके बाद, मास्टर निदेश को वापस ले लिया गया और उसमें प्रत्येक आरई के लिए निहित अनुदेश 28 नवंबर 2025 को अलग से जारी किए गए।

III.14 ऋण हामीदारी प्रक्रियाओं में ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) पर ऋण संस्थाओं (सीआई) की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए, सीआई द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण सूचना की अधिक निरंतर, सटीक और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए 4 दिसंबर 2025 को संशोधन निदेश जारी किए गए थे।

3.2 परियोजना वित्त

III.15 विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा अवसंरचना और गैर-अवसंरचना (वाणिज्यिक स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा-आवासीय मकान सहित) क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा स्थापित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2025 को परियोजना वित्त संबंधी निदेश जारी किए, जिन्हें बाद में 28 नवंबर 2025 को जारी समेकित निदेशों के तहत सम्मिलित किया गया है। इन निदेशों में ऋणदाताओं के लिए लचीलेपन को संतुलित करते हुए, मजबूत जोखिम सुरक्षा उपायों के साथ दबाव के समाधान के लिए सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्रमुख उपायों में वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख को बढ़ाने के लिए युक्तिसंगत समयसीमाएँ शामिल हैं – अवसंरचना परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष तक तथा गैर-अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दो वर्ष तक – साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 1 प्रतिशत (वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए 1.25 प्रतिशत) के साथ शुरू होने वाले सुविचारित मानक आस्ति प्रावधानीकरण शामिल हैं, जो प्रत्येक तिमाही के आस्थगन के साथ बढ़ता जाता है। समग्र रूप से, यह ढांचा निर्माणाधीन एक्सपोजर में निष्पादन संबंधी विलंब से जुड़े जोखिमों को पर्याप्त रूप से कम करते हुए, परियोजना के समय पर और अनुशासित वित्तपोषण का समर्थन करना चाहता है।

3.3 सूक्ष्म वित्त ऋणों पर जोखिम भार की समीक्षा

III.16 आवास, शिक्षा, वाहन ऋण और स्वर्ण द्वारा रक्षित ऋण को छोड़कर, उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार 16 नवंबर 2023 को बढ़ाकर 125 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इसके बाद, रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2025 को उपभोक्ता ऋण की प्रकृति में, सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए जोखिम भार को संशोधित कर 100 प्रतिशत कर दिया। विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो में सम्मिलित होने के लिए अर्हता मानदंडों को पूरा करने वाले अन्य सूक्ष्म वित्त ऋणों पर 75 प्रतिशत का जोखिम भार जारी रहेगा, जो निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) द्वारा दिए गए सभी सूक्ष्म वित्त ऋणों पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार होगा।

3.4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का एक्सपोजर

III.17 निधीयन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता को संबोधित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को ऐसे मामलों में एनबीएफसी के लिए एससीबी के एक्सपोजर पर लागू जोखिम भार में 25 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की, जहां बाहरी रेटिंग के आधार पर मौजूदा जोखिम भार 100 प्रतिशत से कम था। एक समीक्षा के उपरांत, 25 फरवरी 2025 को एनबीएफसी को बैंक ऋण देने पर जोखिम भार को संबंधित बाहरी रेटिंग के साथ संरेखित स्तरों पर बहाल किया गया था, ऐसे मामलों में जहां ऐसी रेटिंग 100 प्रतिशत से कम जोखिम भार निर्धारित करती हैं।

3.5 चलनिधि कवरेज अनुपात फ्रेमवर्क में संशोधन

III.18 प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के चलते चलनिधि जोखिमों में सहवर्ती वृद्धि को दूर करने, बैंकों की अल्पावधि चलनिधि सुदृढ़ता को मजबूत करने और वैश्विक मानकों के साथ और भी तालमेल बिठाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले बासेल III चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानदंडों को संशोधित किया। संशोधित दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के साथ सक्षम गैर-वित्तीय लघु कारोबार ग्राहकों से खुदरा जमाराशियों और असुरक्षित थोक निधीयन के लिए अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत रन-ऑफ फैक्टर[3] निर्धारित किया गया है और यह कि स्तर-1 उच्च गुणवत्ता वाली अर्थसुलभ आस्तियों के रूप में मूल्यवर्गित सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को एलएएफ और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत मार्जिन आवश्यकताओं के अनुरूप लागू हेयरकट के लिए समायोजित किया जाएगा। दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अन्य वैध इकाई श्रेणी, जहां 100 प्रतिशत रन-ऑफ दर लागू होती है, में बैंकों/बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय सेवाओं के कारोबार में संलग्न इकाइयों से जमाराशियाँ और अन्य निधीयन शामिल होंगे, जबकि गैर-वित्तीय कॉरपोरेट्स (40 प्रतिशत रन-ऑफ दर के लिए पात्र) में ट्रस्ट, भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी, व्यक्तियों का संघ, आदि भी सम्मिलित होंगे।

3.6 डिजिटल ऋण

III.19 डिजिटल ऋण भारत की वित्तीय प्रणाली में एक प्रमुख नवाचार के रूप में उभरा है। साथ ही, इसकी तीव्र वृद्धि ने अपविक्रय, डेटा-गोपनीयता उल्लंघन, अनुचित प्रथाओं, असपष्ट ब्याज दरें और शुल्क तथा अनैतिक वसूली विधियों जैसी चिंताओं को जन्म दिया है, विशेष रूप से अन्य पक्ष के ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) की भागीदारी के बाद। जनता के विश्वास की रक्षा करने, पारदर्शिता में सुधार लाने और उत्तरदायी आचरण सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 8 मई 2025 को डिजिटल ऋण निदेश जारी किए, जिनमें डिजिटल ऋण पर पहले के सभी विनियामक अनुदेशों को समेकित किया गया (बाद में 28 नवंबर 2025 को जारी ऋण सुविधाओं पर निदेशों के तहत समेकित किया गया)। निदेशों ने दो नए उपाय प्रस्तुत किए: (i) कई आरई के साथ साझेदारी करने वाले एलएसपी को निष्पक्ष तरीके से ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए ताकि उधारकर्ता निष्पक्ष रूप से उनकी तुलना कर सकें, जिससे उधारकर्ताओं के पास अधिक विकल्प हों, उधारदाताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो और पक्षपाती उत्पाद नियोजन के जोखिम कम हों; और (ii) उधारकर्ताओं को डिजिटल ऋण देने वाले ऐप की वैधता और आरई के साथ संबंध को सत्यापित करने और धोखाधड़ी प्रथाओं पर अंकुश लगाने में मदद करने के लिए डिजिटल ऋण देने वाली एप्लिकेशन्स की एक केंद्रीय निर्देशिका का निर्माण।

3.7 स्वर्ण एवं चांदी के संपार्श्विक के एवज में उधार देना

III.20 आरई में विवेकपूर्ण और आचरण-संबंधी अंतराल को दूर करने तथा एक सिद्धांत-आधारित और सामंजस्यपूर्ण ढांचे की दिशा में बढ़ने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 6 जून 2025 को स्वर्ण एवं चांदी के संपार्श्विक के एवज में उधार देने संबंधी निदेश जारी किए। कम मूल्य के ऋणों की आवश्यकता वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण उपलब्धता में सुधार के लिए, स्वर्ण और चांदी के संपार्श्विक के एवज में उपभोग ऋणों के लिए मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात पर विनियामक सीमा को पुनः समायोजित गया। ₹2.5 लाख तक के ऋणों के लिए 75 प्रतिशत की पिछली एलटीवी सीमा को बढ़ाकर 85 प्रतिशत तथा ₹2.5 लाख से अधिक लेकिन ₹5 लाख तक के ऋणों के लिए 80 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि ₹5 लाख से अधिक राशि के ऋणों के लिए 75 प्रतिशत की पूर्ववत सीमा को बरकरार रखा गया। सहकारी बैंकों और आरआरबी पर पूर्ववत लागू स्वर्ण

[3] रन-ऑफ फैक्टर, जमाराशियों के उस अनुमानित प्रतिशत को दर्शाता है जो एक बैंक दबावग्रस्त अवधि के दौरान आहरित या अंतरित करने की प्रत्याशा करता है।

संपार्श्विक के एवज में ऋण के एकबारगी पुनर्भुगतान की राशि की विशिष्ट सीमा को हटा दिया गया था।

III.21 निविष्टि के रूप में स्वर्ण का उपयोग करने वाले उद्योगों में संलग्न उधारकर्ताओं का समर्थन करने और ऋण तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को स्वर्ण एवं चांदी के संपार्श्विक के एवज में उधार देने संबंधी निदेशों में संशोधन किया। जबकि बैंकों को आम तौर पर स्वर्ण की खरीद के लिए ऋण देने या अपरिष्कृत स्वर्ण/चांदी के संपार्श्विक के बदले ऋण देने से प्रतिबंधित किया जाता है, पहले के दिशानिर्देशों में एससीबी को जौहरियों को आवश्यकता-आधारित कार्यशील पूंजी ऋण देने की अनुमति दी गई थी। रिज़र्व बैंक ने टियर 3 और 4 यूसीबी को भी अनुमति दी है कि वे उन उधारकर्ताओं को आवश्यकता-आधारित कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करें जो स्वर्ण या चांदी का कच्चे माल के रूप में, या अपने विनिर्माण या औद्योगिक प्रसंस्करण गतिविधि में निविष्टि के रूप में उपयोग करते हैं।

3.8 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी संशोधन

III.22 ग्राहकों के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) अद्यतनीकरण की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2025 को केवाईसी निदेशों में संशोधन किया। एकल ग्राहक के संबंध में, जिसे कम जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, विनियमित संस्था सभी लेनदेनों की अनुमति देगी और केवाईसी के लिए अपनी नियत तारीख से एक वर्ष के भीतर या 30 जून 2026 तक, जो भी बाद में हो, केवाईसी अद्यतनीकरण सुनिश्चित करेगी। ऐसे ग्राहकों के खातों की नियमित निगरानी की जाएगी। बैंकों को केवाईसी में कोई परिवर्तन न होने या केवल पते के विवरण में परिवर्तन होने की स्थिति में ग्राहकों से स्व-घोषणा प्राप्त करने के लिए कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग करने की अनुमति है, या तो बायोमेट्रिक ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक विकल्प उपलब्ध होने तक भौतिक रूप में, जिसमें बीसी पावती प्रदान करते हैं और बैंक अंतिम जिम्मेदारी बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, आरई को केवाईसी की नियत तारीख से पहले कम-से-कम तीन अग्रिम नोटिस भेजने होंगे, जिसमें एक पत्र द्वारा भेजा जाएगा तथा नियत तारीख के बाद कम-से-कम तीन अनुस्मारक भेजने होंगे, जिनके साथ केवाईसी को अद्यतन करने के लिए स्पष्ट अनुदेश, मदद मांगने के लिए आगे के स्तर पर भेजने के लिए विकल्प (एस्केलेशन ऑप्शन्स) और अननुपालन के प्रभाव की जानकारी संलग्न होगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी संचार रिकॉर्ड किए गए हैं, इसका कार्यान्वयन 1 जनवरी 2026 तक किया जाना आवश्यक है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में शिविर आयोजित करें और गहन अभियान चलाएं ताकि केवाईसी खातों के आवधिक अद्यतनीकरण में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटान किया जा सके।

III.23 ग्राहकों, विशेष रूप से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण (ईबीटी), प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) और छात्रवृत्ति खातों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2025 को केवाईसी के अद्यतनीकरण/आवधिक अद्यतनीकरण पर अनुदेशों में संशोधन किया। संशोधित ढांचा कारोबार प्रतिनिधियों को आधार ओटीपी, डिजिलॉकर, वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी), एवं डिजिटल और गैर-डिजिटल चैनलों के माध्यम से स्व-घोषणा जैसे मौजूदा विकल्पों के अलावा केवाईसी अद्यतनीकरण में सहायता करने की अनुमति देता है।

III.24 केवाईसी अनुपालन में उपलब्धता, समावेशिता और स्पष्टता को और बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2025 में केवाईसी निदेशों में पुनः संशोधन जारी किए। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं: (i) आरई यह सुनिश्चित करें कि ऑनबोर्डिंग या केवाईसी अद्यतनीकरण आवेदनों को समुचित विचार के बिना अस्वीकार नहीं किया जाए तथा अस्वीकृति के कारण विधिवत दर्ज किया जाएँ; (ii) ₹50,000 या उससे अधिक के सामयिक लेन-देनों और किसी भी अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण के लिए किसी अन्य पक्ष द्वारा किए गए ग्राहक समुचित सावधानी पर निर्भरता बढ़ाना; (iii) आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की एक वैध विधि के रूप में आधार फेस ऑथेंटिकेशन को शामिल करना; और (iv) वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के दौरान यह सुनिश्चित करना कि जीवंतता जांच में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वर्जित नहीं किया जाएगा।

3.9 बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावाकृत जमाराशियाँ

III.25 रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2025 को निष्क्रिय खातों और अदावाकृत जमाराशियों पर अपने अनुदेशों में संशोधन किया। बैंकों को अब ग्राहकों को सभी शाखाओं (गैर-घरेलू शाखाओं सहित) में ऐसे खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए केवाईसी अद्यतन करने की अनुमति देनी होगी, और वीडियो केवाईसी (वी-सीआईपी) का विकल्प भी प्रदान करना होगा। बैंक इन खातों के सक्रियण हेतु केवाईसी अद्यतनीकरण की सुविधा के लिए अधिकृत कारोबार प्रतिनिधियों का उपयोग कर सकते हैं।

III.26 अदावाकृत जमाराशियों के स्टॉक को कम करने तथा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में नवीन अभिवृद्धि के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2025 को 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक एक वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय खाते और अदावाकृत जमाराशियों के त्वरित भुगतान की सुविधा के लिए योजना शुरू की। इस अवधि के दौरान, बैंक, खातों की निष्क्रियता अवधि और अदावाकृत जमाराशि की मात्रा, निष्क्रिय खातों के पुनः सक्रियण और उचित दावेदारों को भुगतान की गई अदावाकृत जमाराशियों के लिए अलग-अलग भुगतान हेतु पात्र होंगे।

3.10 ऋणों पर पूर्व-भुगतान शुल्क

III.27 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए किफायती और पारदर्शी वित्तपोषण सुनिश्चित करने तथा विनियमित संस्थाओं द्वारा अलग-अलग प्रथाओं और प्रतिबंधात्मक खंडों को अपनाने से ग्राहकों को होने वाली शिकायतों की रोकथाम के लिए, रिज़र्व बैंक ने 2 जुलाई 2025 को ऋणों पर पूर्व-भुगतान शुल्क निदेश 2025 जारी किए, जो 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद संस्वीकृत या नवीनीकृत ऋणों और अग्रिमों के मामले में लागू होंगे। इन निदेशों के तहत, विनियमित संस्थाएं, अन्य बातों के साथ-साथ, अस्थिर दर ऋणों और अग्रिमों के लिए निम्नलिखित निदेशों का पालन करेंगी: (i) गैर-कारोबारी उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को दिए गए ऋणों पर कोई पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं होगा; और (ii) व्यक्तियों और एमएसई को कारोबारी उद्देश्यों के लिए आरई की निर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा दिए गए ऋणों पर कोई पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं, जो प्रारंभिक सीमा के अधीन होगा [उदाहरण के लिए, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), आरआरबी, ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी), एनबीएफसी-मध्यम स्तर और टियर 3 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ₹50 लाख तक के ऋण)]।

3.11 वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश

III.28 वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा निवेश के लिए विनियामक दिशानिर्देशों को अद्यतन और सुव्यवस्थित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 29 जुलाई 2025 को निदेश जारी किए। निदेशों के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं: (i) एआईएफ योजना में एकल विनियमित संस्था का योगदान उसकी मूल निधि (कॉर्पस) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, और सभी आरई द्वारा सामूहिक योगदान 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; (ii) यदि कोई आरई किसी एआईएफ योजना में पाँच प्रतिशत से अधिक का निवेश करती है जिसमें आरई की देनदार कंपनी के लिए अधोवाही (डाउनस्ट्रीम) गैर-इक्विटी एक्सपोजर है, तो उसे प्रत्यक्ष एक्सपोजर राशि तक सीमित आनुपातिक एक्सपोजर के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान करना होगा; और (iii) यदि आरई का योगदान गौण इकाइयों के रूप में है, तो पूरे निवेश की कटौती उसकी पूंजीगत निधियों से की जानी चाहिए, आनुपातिक रूप से टियर -1 और टियर -2 पूंजी, दोनों से, जहां भी लागू हो।

3.12 सह-उधार व्यवस्थाएँ

III.29 एक स्पष्ट विनियामक ढांचा प्रदान करने एवं विनियमित संस्थाओं के बीच सह-उधार व्यवस्थाओं (सीएलए) के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2025 को सह-उधार व्यवस्था संबंधी निदेश जारी किए। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी इन निदेशों का उद्देश्य विवेकपूर्ण और आचरण मानकों, पारदर्शिता और परिचालन स्पष्टता को सुनिश्चित करना है। प्रमुख उपायों में शामिल हैं: (i) सभी ऋणों के लिए सह-उधार ढांचे का विस्तार करना – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) या अन्यथा; (ii) मूल ऋणदाता द्वारा न्यूनतम ऋण प्रतिधारण को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना; (iii) बकाया ऋणों के 5 प्रतिशत तक चूक हानि गारंटी कवर की

अनुमति देना; और (iv) विनियामक अंतरपणन से बचने के लिए 15 दिनों के भीतर ऋण जोखिम अंतरण को अनिवार्य करना। ये निदेश उधारकर्ता के लिए सुरक्षा उपायों और बाजार अनुशासन को भी मजबूत करते हैं। सामूहिक रूप से, इन उपायों का उद्देश्य हामीदारी मानकों में सुधार करते हुए सह-उधार बाजार के विकास को प्रोत्साहित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सह-उधार संरचनाओं के दुरुपयोग को रोकना है।

3.13 गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं

III.30 गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाओं जैसे गारंटी, साख-पत्र एवं सह-स्वीकृतियों पर दिशानिर्देशों को सुसंगत और समेकित करने के साथ-साथ अवसंरचना वित्तपोषण के लिए वित्तपोषण स्रोतों को व्यापक बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2025 को गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं पर निदेश जारी किए। यह ढांचा स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक गारंटियों को मान्यता देता है तथा सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों द्वारा गारंटी जारी करने की विशिष्ट सीमाओं सहित विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों को भी लागू करता है। आंशिक ऋण वर्धन (पीसीई) दिशानिर्देशों के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तनों में बाजार के विकास के साथ विवेकपूर्ण निगरानी को संतुलित करने के लिए, पीसीई के लिए पूंजीगत अपेक्षाओं के दायरे का विस्तार और युक्तिकरण शामिल है।

3.14 विनियमन निरूपण के लिए रूपरेखा

III.31 यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनियमन[4] निरूपण और संशोधन एक पारदर्शी, परामर्शी और मानकीकृत दृष्टिकोण का पालन करते हों, रिज़र्व बैंक ने 7 मई 2025 को विनियमन निरूपण के लिए रूपरेखा जारी की। यह ढांचा रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमों का मसौदा तैयार करने, संशोधन करने और समीक्षा करने के लिए व्यापक सिद्धांत स्थापित करता है। प्रमुख प्रक्रियाओं में शामिल हैं: (i) एक मसौदा जारी करने के माध्यम से सार्वजनिक परामर्श और अन्य बातों के साथ-साथ, विनियमन के उद्देश्य पर प्रकाश डालने वाले विवरणों का एक ब्यौरा; (ii) प्रभाव विश्लेषण (जहां तक संभव हो); (iii) प्राप्त जन-सुझावों के उत्तर का सामान्य विवरण जारी करना; और (iv) घोषित उद्देश्यों, प्राप्त अनुभव, परिवर्तित वातावरण में प्रासंगिकता और अतिरेक को कम करने की गुंजाइश जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवधिक समीक्षा।

3.15 नामांकन सुविधा संबंधी निदेश

III.32 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एवं नामांकन नियमों में संशोधन के साथ, नामांकन सुविधा पर विनियामक अनुदेशों को संरेखित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 28 अक्टूबर 2025 को जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकर और बैंकों के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं में नामांकन सुविधा संबंधी निदेश जारी किए। इन निदेशों के तहत, सभी बैंकों को नामांकन सुविधा प्रदान करनी होगी और ग्राहकों को इस सुविधा के बारे में सूचित करना होगा, आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर समुचित सत्यापन के बाद नामांकन रिकॉर्ड और स्वीकार करना होगा, तथा पासबुक/खाता विवरण/सावधि जमा रसीद में नामिती के विवरण के साथ "नामांकन पंजीकृत" प्रदर्शित करना होगा।

3.16 बैंकों के दिवंगत ग्राहकों के संबंध में दावों का निपटान

III.33 दिवंगत ग्राहकों के परिवारों को होने वाली मुश्किल और असुविधा को कम करने के लिए तथा दावों के निपटान की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2025 को बैंकों के दिवंगत ग्राहकों के संबंध में दावों के निपटान निदेश जारी किए। एक वैध नामांकन या उत्तरजीविता खंड वाले खातों के लिए, बैंक, कानूनी दस्तावेजों जैसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन का पत्र, वसीयत प्रमाणपत्र की आवश्यकता

[4] इस रूपरेखा के प्रयोजन के लिए, "विनियमों" में सभी विनियमन, निदेश, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं, आदेश, नीतियों, विनिर्देशों और मानकों को शामिल किया गया है, जैसा कि बैंक द्वारा अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों द्वारा या उनके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

के बिना सीधे नामिती या उत्तरजीवी को शेष राशि का भुगतान करेंगे, बशर्ते कि नामिती/उत्तरजीवी की पहचान और ग्राहक की मृत स्थिति सत्यापित हो और कोई भी अदालत का आदेश बैंक को भुगतान करने या नामिती/उत्तरजीवी को भुगतान प्राप्त करने से अवरोधित नहीं करता है। बिना नामिती/उत्तरजीविता खंड वाले खातों के लिए, बैंक, परिपत्र में निर्धारित एक प्रारंभिक सीमा या दावे के निपटान के लिए उनके द्वारा तय की जाने वाली उच्च सीमा निर्धारित करेंगे। इसके अलावा, परिपत्र में निर्धारित दस्तावेजों को बैंकों के विवेक पर छोड़ने के बजाय प्राप्त किया जाएगा। सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गईं वस्तुओं तक पहुंच, समान सरलीकृत नियमों का पालन करती है। बैंकों को 15 कैलेंडर दिवसों के भीतर दावों का निपटान करना होगा अन्यथा दावेदार को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

3.17 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ताओं के बकायों के निपटान पर दिशानिर्देश

III.34 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा बकाया राशि के एकबारगी निपटान (ओटीएस) पर लागू मौजूदा दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई और 20 जनवरी 2025 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि: (i) बकाया राशि की वसूली के सभी संभावित तरीकों की जांच करने और ओटीएस को उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प मानने के बाद उधारकर्ता के साथ निपटान किया जाना चाहिए; (ii) ₹1 करोड़ से अधिक के कुल बकाया मूल्य वाले खातों के साथ-साथ धोखाधड़ी अथवा इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के सभी खातों का निपटान, पेशेवरों की एक स्वतंत्र सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा प्रस्ताव की जांच किए जाने के बाद किया जाना चाहिए और उसके बाद कम-से-कम दो स्वतंत्र निदेशकों वाले निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए; और (iii) ₹1 करोड़ से कम के कुल बकाया मूल्य वाले खातों का निपटान बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाएगा, बशर्ते कि कोई भी अधिकारी जो संबंधित वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण में संलग्न था, उसी वित्तीय आस्ति के ओटीएस प्रस्ताव के प्रसंस्करण/अनुमोदन का हिस्सा नहीं होगा।

3.18 अग्रिमों पर ब्याज दर

III.35 ऋणदाताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करते हुए, उधारकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को अग्रिम पर ब्याज दर निदेशों में संशोधन के माध्यम से अस्थिर दर वाले ऋणों को नियंत्रित करने वाले ढांचे को संशोधित किया। पूर्व में, जबकि अस्थिर दर-खुदरा एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋणों को बाहरी बेंचमार्क के साथ आधारित किया गया था, बैंक तीन वर्षों में केवल एक बार ऐसी ब्याज दरों में स्प्रेड घटकों (ऋण जोखिम प्रीमियम के अलावा) में बदलाव कर सकते थे। इसके अलावा, आरई को ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के समय समान मासिक किस्त (ईएमआई) आधारित वैयक्तिक ऋणों के संबंध में उधारकर्ताओं को निश्चित दरों पर स्विच करने का विकल्प प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया था। यह संशोधन बैंकों को न्यायसंगत आधार पर, गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से और बैंक की नीति के संदर्भ में ग्राहक प्रतिधारण के लिए तीन वर्ष से पहले अन्य स्प्रेड घटकों को कम करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, आरई अपनी इच्छानुसार, रीसेट के समय उधारकर्ताओं को अपनी बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार एक निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प दे सकते हैं।

3.19 *बासेल III पूंजी विनियमन - अतिरिक्त टियर 1 पूंजी स्थायी कर्ज लिखत सीमा*

III.36 विदेशी बाजारों के माध्यम से बैंकों को अपनी टियर 1 पूंजी को बढ़ाने के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को विदेशी मुद्रा/रुपये

में मूल्यवर्गित बॉण्डों में अंकित स्थायी कर्ज लिखतों पर लागू मौजूदा पात्र सीमा को संशोधित किया।

3.20 स्वर्ण धातु ऋण

III.37 पात्र उधारकर्ता खंडों में मौजूदा स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) योजना को सुसंगत बनाने और बैंकों को अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने अपेक्षित सार्वजनिक चर्चा के बाद 4 दिसंबर 2025[5] को जीएमएल पर व्यापक और सिद्धांत-आधारित विनियमन जारी किए हैं। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं: (i) बैंक को अपनी नीति के अनुसार जौहरियों (आभूषण निर्यातकों के अलावा) को जीएमएल के लिए पुनर्भुगतान अवधि तय करने की अनुमति देना, जो जौहरी के कार्यशील पूंजी चक्र के अनुरूप हो और 270 दिनों की सीमा (मौजूदा 180 दिनों से संशोधित) के अधीन हो; और (ii) उन जौहरियों को जीएमएल की अनुमति देकर पात्रता का विस्तार करना जो स्वयं विनिर्माता नहीं हैं, लेकिन विनिर्माण फर्मों/कारीगरों/सुनारों को रोजगार के आधार पर आभूषणों के अपने विनिर्माण को आउटसोर्स करते हैं।

3.21 बृहत् एक्सपोजर ढाँचा तथा अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोजर

III.38 भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के एक्सपोजर के विवेकपूर्ण निरूपण को स्पष्ट करने तथा बृहत् एक्सपोजर ढाँचे (एलईएफ) तथा अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोजर (आईटीई) के तहत कतिपय मानदंडों को संरेखित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2025 को वाणिज्यिक बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन संबंधी संशोधन निदेश जारी किए। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं: (i) विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं को उनके अपने समूह के भीतर अलग-अलग वैध इकाइयों के लिए एक्सपोजर को आईटीई के तहत माना जाएगा। इसके अलावा, विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं की उनके प्रधान कार्यालय के लिए एक्सपोजर की गणना एलईएफ के तहत की जाएगी और इस तरह के एक्सपोजर, केंद्रीय रूप से समाशोधित या अन्यथा, पर सकल आधार पर विचार किया जाएगा; (ii) विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के लिए सभी एक्सपोजर के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) लाभ के दायरे में विस्तार; (iii) ऋण संपरिवर्तन कारकों और सीआरएम ऑफसेटों के उपयोग की अनुमति देकर एलईएफ के साथ आईटीई संगणना का संरेखण; और (iv) चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों के बजाय आईटीई सीमा को टियर 1 पूंजी से जोड़ना।

3.22 डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण का युक्तिकरण

III.39 इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के बढ़ते महत्व को स्वीकारते हुए और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, विनियमित संस्थाओं के लिए डिजिटल बैंकिंग चैनल प्रारंभ करने के लिए एक समेकित और अद्यतनीकृत ढांचा 28 नवंबर 2025 को जारी किया गया था।

3.23 बैंकों द्वारा कारोबार और निवेश के स्वरूपों पर अनुदेश

III.40 बैंकों को जोखिम वहन करने वाली गतिविधियों से दूर करने के साथ-साथ एक सुव्यवस्थित बैंक समूह संरचना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बैंकों द्वारा कारोबार एवं निवेश के स्वरूपों पर अंतिम अनुदेश 5 दिसंबर 2025 को जारी किए गए थे। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं (i) इस सिद्धांत का समावेश कि कारोबार के प्रत्येक खंड का निष्पादन बैंक समूह में प्राथमिकता के साथ एक ही इकाई द्वारा किया जाए; (ii) ऋण कारोबार करने वाली बैंकों की समूह इकाइयों के लिए विशिष्ट शर्तों का निर्धारण, (iii) बैंकों द्वारा समूह-व्यापी पूंजी आयोजना और आबंटन के लिए ढांचे की आवश्यकता; (iv) बैंक समूह द्वारा किसी इकाई में निवेश करने के लिए सामान्य अनुमति सीमा में छूट (बैंक के निवेश के साथ या

[5] भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण सुविधाएं) संशोधन निदेश, 2025 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - ऋण सुविधाएं) संशोधन निदेश, 2025।

उसके बिना); और (v) एआरसी के लिए किसी एक बैंक के प्रायोजन को एक एआरसी तक सीमित करना, जिसमें एक बैंक समूह की एक एआरसी में कुल शेयरधारिता 20 प्रतिशत से कम तक सीमित हो।

3.24 लेनदेन खातों से संबंधित निदेश

III.41 उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन को लागू करने के साथ-साथ ऋणदाताओं द्वारा बेहतर निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए, लेन-देन खातों[6] के परिचालन पर प्रतिबंध लगाए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह ऋणदाता बैंक (बैंकों) के माध्यम से भेजे जाएँ। प्रतिबंधों के अंतर्निहित इरादे को बनाए रखते हुए, उन्हें तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए अनुदेशों की समीक्षा की गई। इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा 11 दिसंबर 2025 को अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए थे। चूंकि नकदी ऋण खाता मुख्य रूप से एक कार्यशील पूंजी सुविधा है, इसलिए ऐसे खातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, जो बैंक उधारकर्ता के लिए बैंकिंग प्रणाली के कुल एक्सपोजर में; या उधारकर्ता[7] के लिए बैंकिंग प्रणाली के कुल निधि-आधारित एक्सपोजर में न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हों, वे बिना प्रतिबंधों के चालू खातों और ओवरड्राफ्ट खातों को बनाए रख सकते हैं।

3.25 बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देशों को वापस लेना

III.42 बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देश अगस्त 2016 में प्रस्तुत किए गए थे, जिनका उद्देश्य किसी एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के प्रति बैंकिंग प्रणाली के कुल ऋण जोखिम से उत्पन्न होने वाले संकेंद्रण जोखिम को दूर करना और ऐसे बड़े कॉरपोरेट्स को अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना था। समीक्षा के बाद, दिशानिर्देशों की शुरुआत के बाद से कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए बैंक वित्तपोषण के प्रोफाइल में स्पष्ट परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, 1 अक्टूबर 2025 को दिशानिर्देशों को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया था। हितधारकों की प्रतिक्रिया की जांच के बाद, 4 दिसंबर 2025 को बाजार तंत्र संबंधी ढांचे पर मौजूदा अनुदेशों का निरसन करने का निर्णय लिया गया। जबकि बृहत् एक्सपोजर ढांचा एकल बैंक-स्तर पर संकेंद्रण जोखिम का समाधान करता है, बैंकिंग प्रणाली के स्तर पर संकेंद्रण जोखिम की निगरानी और प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता निगरानी के भाग के रूप में किया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

3.26 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए अर्हक आस्ति मानदंड की समीक्षा

III.43 सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों, उद्योग-जगत से प्राप्त फीडबैक एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) को अपनी आस्तियों को अपेक्षाकृत कम संवेदनशील क्षेत्रों में विविधतापूर्वक निवेशित करने की अनुमति देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 6 जून 2025 को एनबीएफसी-एमएफआई के लिए अर्हक आस्ति (क्यूए) मानदंड को कुल आस्तियों के 75 प्रतिशत के पूर्ववत निर्देश से संशोधित कर कुल आस्तियों का 60 प्रतिशत (अमूर्त आस्तियों द्वारा समाशोधित) कर दिया।

सहकारी बैंक

3.27 शहरी सहकारी बैंकों के विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तिकरण

III.44 अधिक जोखिमपूर्ण स्थावर संपदाओं के लिए जोखिम को संतुलित करते हुए वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए ऋण

[6] चालू खातों, नकदी ऋण खातों और ओवरड्राफ्ट खातों को सामूहिक रूप से लेनदेन खाते कहा जाता है।

[7] ये शर्तें उन ग्राहकों के लिए लागू होती हैं जिनके लिए बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, जबकि ₹10 करोड़ से कम के कुल एक्सपोजर के मामले में, बैंक बिना किसी प्रतिबंध के चालू खाता या ओवरड्राफ्ट खाता बनाए रख सकता है।

प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से, 24 फरवरी 2025 को स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) एक्सपोजर के लिए यूसीबी के ऋणों की विवेकपूर्ण सीमाओं और संदर्भ मापदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया। एक यूसीबी के 'व्यक्तियों को दिये गए गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र के आवास ऋण' और 'स्थावर संपदा क्षेत्र - व्यक्तियों को दिये गए आवास ऋण को छोड़कर' के कुल एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमा को संशोधित कर उसके कुल ऋणों एवं अग्रिमों के क्रमशः 25 प्रतिशत और 5 प्रतिशत पर संशोधित किया गया, जो पहले सभी स्थावर संपदा एक्सपोजर के लिए कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत पर निर्धारित थी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए, पात्र व्यक्तियों को दिए जाने वाले आवास ऋण के लिए कोई समग्र ऋण सीमा निर्धारित नहीं की गई है। टियर 3 और टियर 4 यूसीबी द्वारा दिए जाने वाले वैयक्तिक आवास ऋणों की मात्रा की सीमा को ₹1.40 करोड़ की पिछली सीमा से बढ़ाकर क्रमशः ₹2 करोड़ और ₹3 करोड़ कर दिया गया था। यूसीबी के कम मूल्य के ऋण के लिए पूंजी से जुड़ी मौद्रिक सीमा को भी टियर-1 पूंजी के 0.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.4 प्रतिशत कर दिया गया, साथ-ही-साथ ऐसे ऋणों पर स्थिर सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ कर दिया गया। यह उल्लेख करना उचित होगा कि यूसीबी को 31 मार्च 2026 तक अपने कुल ऋण और अग्रिमों का कम-से-कम 50 प्रतिशत हिस्सा कम मूल्य वाले ऋणों के रूप में रखना होगा।

3.28 सहकारी बैंकों के लिए कारोबार प्राधिकरण

III.45 यूसीबी, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की कारोबारी गतिविधियों के प्राधिकरण, विनियमन और रिपोर्टिंग के ढांचे में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2025 को शहरी सहकारी बैंक - शाखा प्राधिकरण निदेश, 2025 और ग्रामीण सहकारी बैंक - शाखा प्राधिकरण निदेश, 2025 जारी किए। इन निदेशों ने यूसीबी पर लागू पहले के वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंडों को कारोबार प्राधिकरण के लिए नए पात्रता मानदंड (ईसीबीए) के साथ बदल दिया और इसे आरसीबी के लिए भी विस्तारित किया गया। तदनुसार, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से कम-से-कम 1 प्रतिशत अंक अधिक जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर), 3 प्रतिशत या उससे कम की निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) और निवल लाभ बनाए रखें, सीआरआर/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के निर्देशों का पालन करें तथा कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और अभिशासन मानकों को कार्यान्वित करें।

III.46 यूसीबी को जमाराशि आकार के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें उच्च स्तर सख्त विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं। टियर 3 और 4 में बड़े यूसीबी को, न्यूनतम मूल्यांकित निवल मालियत ₹50 करोड़ और ईसीबीए अनुपालन के साथ, अपने राज्य से बाहर अपने परिचालन का विस्तार करने की अनुमति दी गई थी, जो कि रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से प्रति वर्ष दो राज्यों तक के साथ-साथ प्रत्येक प्रस्तावित राज्य में कम-से-कम पांच शाखाओं के लिए पर्याप्त अतिरिक्त पूंजी के अधीन था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक यूसीबी को अपने पूरे जिले में विस्तार करने तथा ईसीबीए के अनुरूप होने पर, पूर्व अनुमोदन के बिना, पंजीकरण वाले राज्य के भीतर तीन अतिरिक्त जिलों तक विस्तार करने की अनुमति दी गई थी।

3.29 जलवायु परिवर्तन जोखिम

III.47 वैश्विक घटनाक्रमों के साथ-साथ घरेलू पारितंत्र की परिपक्वता को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन जोखिमों के लिए विनियामक परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक आरई में विशिष्ट क्षमताओं और तकनीकी विशेषज्ञता के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बिल्डिंग ब्लॉक दृष्टिकोण का पालन कर रहा है। इस दिशा में, वर्ष भर में व्यापक हितधारक चर्चाएँ और क्षमता निर्माण पहलें की गईं, जिनमें बोर्ड के सदस्यों और आरई के शीर्ष प्रबंधन को सुग्राही बनाना भी शामिल था। रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली

(आरबी-सीआरआईएस)[8] को कार्यशील बनाने के संबंध में कार्य प्रक्रियाधीन है।

4. प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष

III.48 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए समीक्षा अवधि के दौरान प्रौद्योगिकीय प्रगति की एक शृंखला शुरू की। प्रमुख उपायों में शामिल हैं: (i) वित्तीय सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित और पारदर्शी रूप से अंगीकृत करने को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उत्तरदायी और नैतिक सक्षमता के लिए रूपरेखा को जारी करना; (ii) सभी विनियामक आवेदनों का डिजिटलीकरण करने वाले एक एकीकृत वेब-आधारित पोर्टल 'प्रवाह' की शुरुआत; और (iii) साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए .bank.in एवं .fin.in जैसे विशिष्ट इंटरनेट डोमेन का प्रारंभ। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम दो कारक प्रमाणीकरण ढांचे को मजबूत करने और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक सिद्धांत-आधारित प्रमाणीकरण ढांचा जारी किया, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। साथ मिलकर, ये प्रयास भारत में एक सुरक्षित, सहज और समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

4.1 एआई के उत्तरदायी और नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा

III.49 रिज़र्व बैंक ने 13 अगस्त 2025 को एआई (फ्री-एआई) के उत्तरदायी और नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा जारी की, जिसमें वित्तीय सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी और नैतिक अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की गई, और जोखिम न्यूनीकरण के साथ नवाचार को संतुलित किया गया। एआई को एक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो वित्तीय समावेशन, दक्षता और ग्राहक सेवा में लाभ प्रदान करती है, वहीं, पूर्वाग्रह, अस्पष्टता, साइबर सुरक्षा खतरों और डेटा गोपनीयता चिंताओं जैसे जोखिम उत्पन्न करती है। एआई अंगीकरण हेतु मार्गदर्शन करने के लिए, फ्री-एआई समिति ने सर्वेक्षण, हितधारक परामर्श आयोजित किए और सात सूत्र विकसित किए - विश्वास, लोगों को प्राथमिकता, अवरोध के बजाय नवाचार, जवाबदेही, निष्पक्षता और इक्विटी, डिजाइन द्वारा समझने योग्य, तथा सुरक्षा, सुदृढ़ता एवं धारणीयता – जो मूल सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं।

III.50 यह रूपरेखा तीन स्तंभों के माध्यम से नवोन्मेष को बढ़ावा देती है - अवसंरचना, नीति और क्षमता - जिनमें साझा वित्तीय क्षेत्र डेटा प्लेटफॉर्म, एआई नवोन्मेष परीक्षण-स्थल (इनोवेशन सैंडबॉक्स), स्वदेशी क्षेत्र-विशिष्ट एआई मॉडल, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ एकीकरण, वित्तपोषण सहायता तथा आरई एवं विनियामकों, दोनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम जैसी पहलें शामिल हैं। जोखिमों को कम करने के लिए, यह निम्न अभिशासन, सुरक्षा और आश्वासन उपायों को स्थापित करता है: बोर्ड अनुमोदित एआई नीतियां, डेटा जीवनचक्र और मॉडल अभिशासन, एआई-विशिष्ट उत्पाद अनुमोदन, साइबर सुरक्षा, रेड-टीमिंग, व्यवसाय निरंतरता योजना, घटना की रिपोर्टिंग, एआई इन्वेंटरी, लेखा परीक्षाएँ और सार्वजनिक प्रकटीकरण।

III.51 रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए दो अलग-अलग सर्वेक्षणों से लघु यूसीबी, एनबीएफसी और एआरसी के बीच एआई के सीमित अंगीकरण के बारे में पता चला, जो मुख्य रूप से सरल नियम-आधारित या मध्यम जटिल मशीन लर्निंग (एमएल) मॉडल का उपयोग कर रहे हैं, जबकि बड़े बैंक प्रारंभिक चरण के एआई अनुप्रयोगों की खोज कर रहे हैं। अंगीकरण बाधाओं में उच्च लागत, प्रतिभा अंतराल, अपर्याप्त डेटा और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, जबकि समावेशन-उन्मुख उपयोगकर्ता दृष्टिकोण सहायिका (यूज केसेस) वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग, बहुभाषी चैटबॉट, स्वचालित केवाईसी और एजेंट बैंकिंग में संभावना दर्शाती हैं।

4.2 विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म (प्रवाह)

III.52 विनियमित संस्थाओं और व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों, अनुरोधों और संदर्भों को प्रस्तुत और संसाधित करने के लिए

[8] जलवायु से संबंधित डेटा अंतराल को पाटने और आरई द्वारा व्यापक जलवायु जोखिम आकलन को सक्षम करने के लिए, आरबीआई ने अक्टूबर 2024 में एक डेटा रिपॉजिटरी, यथा रिजर्व बैंक – जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) के निर्माण की घोषणा की।

एक सुरक्षित, केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल ‘प्रवाह’ को पारदर्शी तरीके से सेवाओं की निर्बाध और तेज़ डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए 28 मई 2024 को सफलतापूर्वक आरंभ किया गया था। ‘प्रवाह’ को रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्यप्रवाह एप्लिकेशन ‘सारथी’ के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे आवेदनों के पूरे प्रसंस्करण जीवनचक्र का संपूर्ण डिजिटलीकरण सुनिश्चित होता है। ‘प्रवाह’ ने विनियमित संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए कारोबारी सुगमता लायी है। रिज़र्व बैंक ने 1 मई 2025 से सभी विनियमित संस्थाओं के लिए विशिष्ट रूप से ‘प्रवाह’ पोर्टल के माध्यम से विनियामक प्राधिकरणों, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करना अनिवार्य किया है। 18 दिसंबर 2025 तक, ‘प्रवाह’ में 191 सेवाओं से संबंधित फॉर्म उपलब्ध हैं।

4.3 विशिष्ट इंटरनेट डोमेन - .bank.in एवं .fin.in

III.53 डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों का सामना करने के लिए, 22 अप्रैल 2025 को भारतीय बैंकों के लिए ‘.bank.in’ के रूप में एक विशेष इंटरनेट डोमेन प्रस्तुत किया गया। इसे बाद में ‘.fin.in’ के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में गैर-बैंक संस्थाओं तक विस्तारित करने का प्रस्ताव था। इन डोमेन का उद्देश्य ग्राहकों को वैध बैंक वेबसाइटों की पहचान कराने और फिशिंग एवं अन्य साइबर हमलों के जोखिम को कम करने में मदद करना है। 1 दिसंबर 2025 तक, 638 बैंकों ने डोमेन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें से 479 बैंक ‘.bank.in’ डोमेन में स्थानांतरित (माइग्रेट) हो चुके हैं।

4.4 डिजिटल भुगतान लेनदेनों के लिए अधिप्रमाणन तंत्र

III.54 भारत के बढ़ते डिजिटल भुगतान पारितंत्र की सुरक्षा और सुदृढ़ता को मजबूत करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 25 सितंबर 2025 को डिजिटल भुगतान लेनदेन निदेशों के लिए अधिप्रमाणन तंत्र जारी किए। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी इन निदेशों में प्रमाणीकरण के कारकों में से कम-से-कम एक गतिशील रूप से बनाए जाने या सिद्ध किए जाने की आवश्यकता होगी। यह मजबूती, अंतर-परिचालनीयता और जोखिम-आधारित जांच पर जोर देता है, जबकि गैर-अनुपालन के मामले में जारीकर्ताओं को ग्राहकों के नुकसान के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी बनाता है। यह डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुपालन को भी अनिवार्य बनाता है और सीमा-पार कार्ड-नॉट-प्रेजेंट लेनदेन को मान्य करने के लिए तंत्र पेश करता है, जिससे डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा और विश्वास, दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

5. वित्तीय बाजार

III.55 भारत में वित्तीय बाजार पूंजी के कुशल संग्रहण और आबंटन को सुगम बनाकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निवेश और चलनिधि के अवसर प्रदान कर, वित्तीय बाजार मूल्य निर्धारण, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक पूंजी निर्माण में योगदान करते हैं। इसके अलावा, वे बचत को प्रोत्साहित करके, वित्तीय समावेशन को बढ़ाकर और व्यवसायों के विस्तार के लिए उन्हें धन संग्रह में सक्षम बनाकर आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देते हैं। जैसे-जैसे भारत अपने वित्तीय पारितंत्र का उदारीकरण और डिजिटलीकरण जारी रखता है, समावेशी और सुदृढ़ आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए सुविनियमित और गहन वित्तीय बाजारों का महत्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिशा में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमों को सरल बनाकर और नवाचारों को प्रोत्साहित करके वित्तीय बाजारों में पैठ बढ़ाने और उन्हें विकसित करने के प्रयासों को आगे जारी रखा है।

5.1 पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) निदेश

III.56 रेपो लेनदेन पर मौजूदा निदेशों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियाँ, सूचीबद्ध कॉरपोरेट बॉण्ड और डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र और कर्ज ईटीएफ की इकाइयाँ पात्र प्रतिभूतियों के रूप में शामिल हैं। समीक्षा के उपरांत, नगरपालिका कर्ज प्रतिभूतियों को रेपो लेनदेन के लिए पात्र प्रतिभूतियों के रूप में शामिल

किया गया है। इससे ऐसी प्रतिभूतियों की चलनिधि को बढ़ावा मिलेगा और नगरपालिका बॉण्ड के लिए बाजार को प्रोत्साहन प्राप्त होगा, साथ ही रेपो और रिवर्स रेपो बाजारों के लिए उपलब्ध लिखतों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी।

5.2 *इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा*

III.57 इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करते हुए, 16 जून 2025 को जारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मास्टर निदेशों ने 2018 के ढांचे, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को छोड़कर प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखतों, विदेशी मुद्रा लिखतों और डेरिवेटिव्स जैसे पात्र लिखतों में लेनदेन को सुगम बनाता है, का स्थान लिया। इस ढांचे में परिचालन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन के लिए विस्तृत आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें निष्पक्ष पहुंच नियम, ऑनबोर्डिंग में समुचित सावधानी, व्यापार-पूर्व और पश्चात पारदर्शी प्रकटीकरण, विवाद समाधान, निगरानी, सूचना सुरक्षा, वार्षिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा-परीक्षाएँ, व्यवसाय निरंतरता आयोजना और डेटा संरक्षण संबंधी सख्त मानदंड शामिल हैं। यह ढांचा प्राधिकरण को भी सुव्यवस्थित करता है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल है, और छूट प्राप्त संस्थाओं के लिए परिचालन लोच के साथ विनियामक निगरानी को संतुलित करता है।

5.3 *सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक दलालों (ब्रोकर) की तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान तक पहुंच*

III.58 पहुंच को व्यापक बनाने की दृष्टि से, सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंक दलालों को अपने ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान [निगोशिएट डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम)] तक सीधी पहुंच प्रदान की गई है। ये ब्रोकर इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और शर्तों के अधीन एनडीएस-ओएम तक पहुंच स्थापित (एक्सेस) सकते हैं।

5.4 *सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं (फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट) की शुरुआत*

III.59 बीमा निधियों जैसे दीर्घावधि निवेशकों को ब्याज दर चक्रों में अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाएँ प्रस्तुत की गई हैं, जो अंतर्निहित लिखतों के रूप में बॉण्ड का उपयोग करने वाले डेरिवेटिव के कुशल मूल्य निर्धारण की सुविधा भी प्रदान करेंगी।

5.5 *विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सामान्य मार्ग के माध्यम से कॉरपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश - छूट*

III.60 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को निवेश में अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 8 मई 2025 को सामान्य मार्ग के तहत कॉरपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले एफपीआई के लिए छूट की घोषणा की। विशेष रूप से, कर्ज लिखतों में अल्पकालिक निवेश सीमा और संकेंद्रण सीमा का पालन करने की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।

5.6 *मुद्रा बाजार खंडों के लिए बाजार समय का विस्तार*

III.61 बाजार के विकास को सुगम बनाने, मूल्य निर्धारण को बढ़ाने और चलनिधि आवश्यकताओं को अनुकूलित करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने मुद्रा बाजार के संपार्श्विक और असंपार्श्विक, दोनों खंडों के बाजार समय में बदलाव की घोषणा की। माँग मुद्रा लेनदेन के लिए मार्केट ट्रेडिंग समय 1 जुलाई 2025 से शाम 5:00 बजे के बजाय शाम 7:00 बजे तक और बाजार रेपो और त्रिपक्षीय रेपो (टीआरईपी) लेनदेन के लिए, 1 अगस्त 2025 से दोपहर 2.30/3.00 बजे के बजाय शाम 4:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

6. उपभोक्ता संरक्षण

III.62 रिज़र्व बैंक की ग्राहक संरक्षण नीतियों ने उभरती डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, जागरूकता बढ़ाने और मजबूत शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया। उपभोक्ता जागरूकता के लिए, रिज़र्व बैंक छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं जैसे विशिष्ट समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए टाउन-हॉल बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के प्रशिक्षुओं को उनके प्रायोजक बैंकों के माध्यम से जागरूकता पुस्तिकाएं वितरित करने सहित कई पहलें कर रहा है।

6.1 वॉयस और एसएमएस वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ संस्थागत सुरक्षा उपाय

III.63 वॉयस कॉल और एसएमएस का उपयोग करके होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2025 को दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें सभी आरई को ग्राहक मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग कर की जाने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का निदेश दिया गया। आरई को दूरसंचार विभाग (डीओटी) के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) पर उपलब्ध मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची का उपयोग करने का निर्देश दिया गया जिससे ग्राहक डेटाबेस की निगरानी और छंटाई की जा सके। आरई को पंजीकृत मोबाइल नंबरों को सत्यापित और अद्यतन करने के लिए भी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने और धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए रद्द किए गए नंबरों से जुड़े खातों की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता थी। आरई को यह भी निर्देश दिया गया कि वे ''संचार साथी'' पोर्टल पर प्रकाशित होने वाले डीआईपी पर अपने सत्यापित ग्राहक सेवा नंबर साझा करें, सेवा/लेन-देन कॉल करने के लिए केवल '1600xx' नंबर सीरीज़ का उपयोग करें और प्रचार कॉल के लिए '140xx' नंबर सीरीज़ का उपयोग करें, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के वाणिज्यिक संचार दिशानिर्देशों का पालन करें और व्यापक जागरूकता उपाय करें।

7. ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन

III.64 रिज़र्व बैंक लगातार यह स्वीकार करता रहा है कि सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए पहुंच और जागरूकता, दोनों की आवश्यकता होती है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने समावेशन के माँग पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए कई वित्तीय साक्षरता पहलें शुरू की हैं। इनमें वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) के माध्यम से आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता सामग्री का वर्धन और उसका आवधिक अद्यतन शामिल हैं। पहुंच के साथ-साथ जागरूकता को बढ़ावा देकर, इन पहलों का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं का जिम्मेदार और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे व्यापक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को मजबूत किया जा सके।

7.1 स्वर्ण एवं चांदी को स्वैच्छिक रूप से गिरवी रखना - कृषि एवं एमएसएमई ऋण

III.65 रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2024 को लघु और सीमांत किसानों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख प्रति उधारकर्ता करने की घोषणा की। इसके अलावा, अपनी उपलब्ध आस्तियों का उपयोग करके अपनी ऋण पात्रता में सुधार करने के इच्छुक किसानों को अधिक सुलभता प्रदान करने के लिए, 11 जुलाई 2025 को यह स्पष्ट किया गया कि कृषि एवं एमएसएमई ऋणों के लिए संपार्श्विक-मुक्त सीमा तक संपार्श्विक के रूप में स्वर्ण एवं चांदी को स्वैच्छिक रूप से गिरवी रखने को कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

7.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

III.66 रिज़र्व बैंक ने व्यापक समीक्षा और हितधारक परामर्श के बाद संशोधित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। प्रमुख बदलावों में पीएसएल कवरेज का विस्तार करने के लिए कई श्रेणियों, विशेषकर आवास क्षेत्र में ऋण सीमा में वृद्धि, 'नवीकरणीय ऊर्जा' क्षेत्र के अंतर्गत ऋण के लिए व्यापक पात्रता, और यूसीबी के लिए संशोधित समग्र पीएसएल

लक्ष्य, समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीएसई) (जो भी अधिक हो), का 60 प्रतिशत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इन दिशानिर्देशों में 'कमजोर वर्ग' श्रेणी के तहत पात्र उधारकर्ताओं की सूची का विस्तार हुआ है और यूसीबी द्वारा वैयक्तिक महिला लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को हटा दिया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण के लक्ष्यीकरण और प्रवाह में सुधार करना है।

III.67 रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए पीएसएल मानदंडों को संशोधित किया, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होंगे। नए ढांचे के तहत, एसएफबी के लिए समग्र पीएसएल दायित्व एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, के 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। एसएफबी अपने एएनबीसी या सीईओबीएसई का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पीएसएल के तहत विभिन्न उप-क्षेत्रों, जैसे कृषि, एमएसएमई, आवास एवं कमजोर वर्गों आदि को मौजूदा पीएसएल निर्देशों के अनुसार आबंटित करना जारी रखेंगे। शेष 20 प्रतिशत, पहले के 35 प्रतिशत लचीले आबंटन की जगह लेता है, जिसे ऐसी किसी भी पीएसएल श्रेणियों को आबंटित किया जा सकता है जहां बैंक के पास प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है।

8. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

III.68 रिज़र्व बैंक प्रौद्योगिकी-जनित नवाचारों, उपलब्धता उपायों और वैश्विक लोकसंपर्क पहलों के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली को बढ़ाने में अग्रणी रहा है। रिज़र्व बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के व्यापक विनियमन, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) ऑपरेटरों के लिए समुचित सावधानी की अनिवार्यता, तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के लिए लाभार्थी के नाम का सत्यापन, निरंतर चेक समाशोधन और थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन्स के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी प्रीपेड भुगतान लिखतों के लिए यूपीआई एक्सेस, के माध्यम से डिजिटल भुगतान सुरक्षा और भुगतान प्रणालियों की दक्षता को मजबूत किया। उच्च लागत, धीमी गति और सीमा-पार भुगतान में अपर्याप्त पहुंच और पारदर्शिता की चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, सीमा-पार विप्रेषणों के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबद्धता, विदेशों में व्यापारिक स्थानों पर यूपीआई की क्विक रेस्पोंस (क्यूआर) कोड आधारित स्वीकृति और यूपीआई जैसी राष्ट्रिक भुगतान प्रणालियों के नियोजन के लिए भागीदार क्षेत्राधिकार के साथ सहयोग के माध्यम से, यूपीआई की वैश्विक पहुंच का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा, अन्य देशों को उनकी राष्ट्रिक घरेलू कार्ड योजना के विकास के लिए रुपे टेक्नोलॉजी स्टैक की भी पेशकश की गई है। ये निरंतर प्रयास एक एकीकृत, सुदृढ़ और वैश्विक रूप से सम्बद्ध डिजिटल भुगतान पारितंत्र के निर्माण की रणनीतिक दृष्टि को दर्शाते हैं।

8.1 पेमेंट एग्रीगेटर का विनियमन

III.69 पेमेंट एग्रीगेटर्स संबंधी अभिशासन, पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2025 को पेमेंट एग्रीगेटर्स (पीए) के विनियमन पर मास्टर निदेश जारी किया। यह पीए और सीमा-पार परिचालन पर पूर्व दिशानिर्देशों को समेकित करता है और भारत में पेमेंट एग्रीगेशन के क्षेत्र में कार्यरत सभी बैंक और गैर-बैंक संस्थाओं के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा स्थापित करता है। यह पात्रता मानदंड, न्यूनतम पूंजी, अभिशासन मानकों और केवल विश्वसनीय और वित्तीय रूप से सुदृढ़ संस्थाओं को परिचालन अनुमति देने के लिए उपयुक्त एवं उचित परीक्षणों के साथ एक कठोर प्राधिकरण प्रक्रिया स्थापित करता है। पीए को धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ता विश्वास की रक्षा करने के लिए व्यापारियों की पूरी केवाईसी और उनकी एएमएल जांच करनी होगी तथा एस्क्रो खाता परिचालन विनियमित करने होंगे ताकि उनका यथोचित

उपयोग, लेखांकन, रिपोर्टिंग और चलनिधि प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

8.2 आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) - एईपीएस टचप्वाइंट ऑपरेटरों के संदर्भ में समुचित सावधानी

III.70 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा परिचालित *आधार* सक्षम भुगतान प्रणाली, *आधार* प्रमाणीकरण का उपयोग करके अंतर-परिचालनीय बैंकिंग लेनदेन को सक्षम बनाती है। एईपीएस लेनदेन की सुरक्षा और अखंडता को बढ़ाने के लिए, एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों (एटीओ) को विशेष रूप से पहचानना, उनकी ऑनबोर्डिंग को सुव्यवस्थित करना और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करना आवश्यक समझा गया। तदनुसार, 27 जून 2025 को, रिज़र्व बैंक ने एटीओ के लिए सख्त समुचित सावधानी और जोखिम प्रबंधन संबंधी निदेश जारी किए, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। अधिग्राहक बैंकों को एटीओ की पूरी केवाईसी करनी होगी (या यदि पहले से ही बीसी/सब-एजेंट द्वारा फुल केवाईसी की गई है तो मौजूदा केवाईसी को स्वीकार कर सकते हैं), आवधिक अद्यतन सुनिश्चित करने होंगे, और यदि कोई एटीओ तीन महीने से अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है तो फिर से केवाईसी करनी होगी। बैंकों को लेन-देन निगरानी प्रणालियों के माध्यम से एटीओ की गतिविधियों की लगातार निगरानी भी करनी होगी, परिचालन मापदंड (जैसे स्थान, लेनदेन की मात्रा और गति) स्थापित करने होंगे और उनकी आवधिक समीक्षा करनी होगी और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन उपायों को मजबूत करना होगा। इन उपायों का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना, धोखाधड़ी को रोकना और एईपीएस में ग्राहकों के विश्वास की रक्षा करना है।

8.3 लाभार्थी खाता नाम लुक-अप सुविधा की शुरुआत

III.71 इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण में त्रुटियों को कम करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए, आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए लाभार्थी खाता नाम लुक-अप सुविधा लागू की गई। रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपने ग्राहकों को मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग के जरिए यह सुविधा उपलब्ध कराएं। यूपीआई और तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) में पहले से उपलब्ध सुविधा की तरह, यह सुविधा प्रेषकों को भुगतान लेनदेन शुरू करने से पहले लाभार्थी के खाते के नाम को सत्यापित करने की अनुमति देती है। एनपीसीआई द्वारा विकसित इस सुविधा को प्रेषक द्वारा दर्ज किए गए खाता संख्या और भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (आईएफएससी) के आधार पर लाभार्थी बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) से खाते का नाम प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

8.4 चेक ट्रंकेशन प्रणाली के तहत चेकों का निरंतर समाशोधन

III.72 चेक समाशोधन में तेजी लाने और निपटान जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से, 4 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई परियोजना के पहले चरण में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) में प्राप्ति पर निरंतर समाशोधन और निपटान लागू किया गया। इसके तहत, पहले प्रयोग की जा रही बैच प्रोसेसिंग अप्रोच के बजाय कारोबार समय के दौरान चेक को स्कैन और प्रस्तुत कर कुछ ही घंटों में पारित किया जाता है और यह लगातार आधार पर किया जाता है। निपटान सकारात्मक या मान्य पुष्टि के आधार पर होता है, जबकि अस्वीकृत चेक का निपटान नहीं किया जाता है। एक बार निपटान पूरा हो जाने के बाद, प्रस्तुतकर्ता बैंकों को ग्राहक खातों में तुरंत राशि जमा करनी होगी। इसमें निपटान के बाद से एक घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

8.5 थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन्स के माध्यम से प्रीपेड भुगतान लिखतों के लिए यूपीआई एक्सेस

III.73 रिज़र्व बैंक ने पूर्ण-केवाईसी प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) धारकों को थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन्स के माध्यम से यूपीआई भुगतान करने/प्राप्त करने की अनुमति दी। जबकि बैंक के यूपीआई ऐप के माध्यम से बैंक खाते को लिंक करके या किसी थर्ड-पार्टी यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके बैंक खातों से यूपीआई भुगतान किया जा सकता है, वहीं पीपीआई के लिए समान सुविधा उपलब्ध नहीं थी। केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए एप्लिकेशन का उपयोग करके ही पीपीआई से यूपीआई लेनदेन किया जा सकता था। अब थर्ड-पार्टी यूपीआई एप्लिकेशन्स पर पूर्ण-केवाईसी पीपीआई को खोजना और उसे जोड़ना अनुमत है।

9. समग्र मूल्यांकन

III.74 भारतीय वित्तीय क्षेत्र एक परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है, जो बाजार की बदलती गतिशीलता, प्रौद्योगिकीय नवाचारों और उपभोक्ताओं और व्यवसायों के परिष्कृत व्यवहार द्वारा आकार ले रहा है। रिज़र्व बैंक के नीतिगत उपायों का उद्देश्य बैंकों की सुदृढ़ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना, ऋण प्रवाह को बढ़ाना, कारोबारी सुगमता में सुधार करना, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना और भारतीय रुपये का और अधिक अंतरराष्ट्रीयकरण करना है।

III.75 वर्तमान के अनिश्चित वैश्विक माहौल में, ये पहलें उत्पादक आर्थिक गतिविधियों को वित्तपोषित करने, जोखिम का विवेकपूर्ण प्रबंधन करने और उभरती चुनौतियों और अवसरों का प्रभावी ढंग से प्रतिउत्तर देने के लिए विनियमित संस्थाओं की क्षमता को समर्थन प्रदान करेंगी। भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विनियामक प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ जोड़कर, रिज़र्व बैंक एक मजबूत, समावेशी और दक्ष वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, जनता के विश्वास को बढ़ाने और धारणीय संवृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।